अपील/एल.आर/3132/2004/सीकर
प्रभूदयाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.11.19	**एकल–पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित** : **(1) श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलांटस** **(2) श्री लोकेन्द्र सिंह उप राजकीय अभिभाषक रैस्पोडेंट सं.1** **निर्णय दिनांकः** यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय 31–8–04 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलांट विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा था फिर भी विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.38 है0 गत खसरा नंबर1033 को बिना किसी आधार के सिवाय चक दर्ज कर दिया उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही में अति0जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अपी0 की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा कर जिला कलक्टर सीकर ने अपने आदेश दिनांक 9–1–04 द्वारा विवादित आराजी रेस्पोडेंट संख्या दो को आवंटित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष पेश होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–5–04 के द्वारा गैर कानूनी रुप से निरस्त कर दी जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयें द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि अपीलांट की ओर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से विवादित आराजी बावत मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया है जिससे साबित हो सके कि उनकी पैतृक भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया हो। चॅूकि सिवायचक भूमि का अधिकार जिला कलेक्टर को आवटन करने का अधिकार है। विवादित आराजी से अपीलांट को बेदखल किया जा चुका है। अपीलांट का विवादित आराजी पर एक अतिक्रमी की कब्जा रहा है, बेदखली की कार्यचवाही कर जिसे हटा दिया गया है। विवादित आराजी सैनिक विश्राम गृह के लिए आवंटित की गयी , जो कानूनन सही की गयी है। अन्त में दोनो अधीनस्थ न्यायालयें के आदेश समवर्ती होने से इनमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी सिवायचक भूमि अंकित है। चूंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी से अपीलांट द्वारा कब्जा कर लेने पर हटाया जा चुका है जिसकी पुष्टि फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में वाके ग्राम श्रीमाधोपुर की आराजी खसरा नंबर 2480 रकबा 0.38 है0 भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है यह भूमि मौके पर खाली है जैसा कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से जाहिर होता है । यद्वपि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार के आदेश की अपील पेश होने पर उसे रिमाण्ड किया है लेकिन इससे किसी प्रकार के हकहकूक अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अपीलांट को अपने हकूकों का निर्धारण करने के लिए नियमित सक्षम न्यायालय में वाद लाना चाहिए था। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार की राहत अपीलांट प्राप्त करने का हकदार नही हैं । जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश पर्याप्त जांच पडताल के बाद सही रुप से जारी किया गया है जिसके लिए वह सक्षम है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की विधि और तथ्य की भूल नही पाई जाती है। इसमें हस्स्तक्षेप करने की अवश्यकता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही है। उक्त विस्तृत निष्कर्ष के साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18—5—2004 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करते हुए जिला कलक्टर सीक?र द्वारा पारित आदेश दिनांक 9—1—2004 की पुष्टि की गयी है। अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों तथा समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से हम इसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। परिणामस्वप हस्तगत अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल फ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुनील कुमार शर्मा) सदस्य	

अपील/एल.आर/3132/2004/सीकर
प्रभूदयाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए